Road safety camp

CHANDIGARH: In order to raise the level of road safety awareness amongst the drivers/attendants of school buses, Chandigarh Traffic Police are organising a Road Safety Camp, free of cost, for the drivers/attendants of school buses of schools of Chandigarh at Children Traffic Park Sector 23, Chandigarh. During this camp, training will be given with instructions with regard to school buses issued by the Punjab and Haryana High Court and as per STRAPS Policy of UT Administration to the drivers/attendants of school buses. The camp will be organized on June 2, 9, 16 and 23 from 10:00 a.m. to 1:00 p.m. Chandigarh Traffic police have appealed to the school principals to motivate their school bus drivers to participate in this Road Safety Camp. Interested school bus drivers may directly contact Chandigarh Traffic Police using this contact number 0172-2700314 or through an official email address-pprsec@chd.nic.in. *DP*

Daily Post Dt: 02/06/2018

एक ही दस्तावेज जमानत की श्योरिटी के लिए बार-बार इस्तेमाल नहीं हो सकेगा: हाईकोर्ट

चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा की अदालतों को जमानत के लिए दी श्योरिटी का कंप्यूटराइज रिकॉर्ड बनाने के निर्देश

▪ यह भी कहा-संबंधित अथॉरिटी अपने रिकॉर्ड में दस्तावेजों की एंट्री करें

भास्कर न्यूज. चंडीगढ़

चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की अदालतों में अब एक ही दस्तावेज जमानत की श्योरिटी के लिए बार-बार इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। शुक्रवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल व जस्टिस टीएस ढींढसा की खंडपीठ ने चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा की अदालतों को जमानत के लिए दी श्योरिटी का कंप्यूटराइज रिकॉर्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए संबंधित अथॉरिटी को अपने रिकॉर्ड में दस्तावेजों की एंट्री करने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत का लाभ देने वाले प्रिसाइडिंग अफसर सुनिश्चित करे कि जमानत की श्योरिटी के लिए दिए जा रहे दस्तावेज पहले कहीं पर जमानत के लिए इस्तेमाल हुए हैं या नहीं। बेंच ने इस मामले पर पांच जुलाई के लिए अगली सुनवाई तय की है।

झूठी अंडरटेकिंग देकर जमानत की श्योरिटी दी जा रही: प्रशासन

चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि कुछ ऐसे लोग सामने आए हैं जो इन मामलों में आरोपी कई लोगों के लिए झूठी अंडरटेकिंग देकर जमानती की श्योरिटी दे रहे हैं। इनमें से एक रामदरबार निवासी रेखा रानी ने तो छह मामलों में जमानती की श्योरिटी दी है। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से सीनियर एडवोकेट आरएस राय ने कोर्ट में कहा कि रेखा रानी ने कोर्ट में झूठा एफिडेविट देकर कहा है कि उसने किसी और मामले में जमानती की श्योरिटी नहीं दी है जबकि उसने दो अलग अलग पते देकर चेन स्नैचिंग के छह केसों में जमानत की श्योरिटी दी है। इसी तरह सुनील कुमार नाम के व्यक्ति ने पांच अलग अलग मामलों में श्योरिटी दी है। राय ने कहा कि इस मामले में समस्या यह है कि कोई डाटा तैयार नहीं किया जाता। यदि कोई व्यक्ति एक कोर्ट में जमानती की श्योरिटी देता है तो साथ वाली कोर्ट को इसकी जानकारी नहीं होती। श्योरिटी देते समय ओरिजनल डॉक्युमेंट जमा होते हैं जो बाद में लौटा दिए जाते हैं। फोटो कापी रखी जाती है। ऐसे में गलत ढंग से श्योरिटी देने वाले इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

इन जैसे लोगों की वजह से अपराध बढ़ा, जमानती वारंट जारी

दो अलग अलग पते देकर चेन स्नैचिंग के छह केसों में जमानत देने वाली रामदरबार निवासी रेखा रानी के पेश न होने पर हाईकोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर दिए। बेंच ने रेखा के वकील को कहा कि इन जैसे लोगों की वजह से शहर में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। याचिका दायर करने वाले वकील हरि चंद ने कहा कि रेखा वीरवार रात को उनके घर आई थी और शुक्रवार को कोर्ट में पेश होने की बात कही थी। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसे केस की जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने इस पर रेखा के जमानती वारंट जारी कर दिए।

याचिका में यह भी-ट्रैफिक लाइट्स पर सीसीटीवी कैमरे सही ढंग से काम नहीं कर रहे

सीसीटीवी को मॉनिटर भी नहीं किया जा रहा: वकील हरि चंद की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि साल 2016 में चंडीगढ़ में चेन स्नैचिंग की 161 वारदात हुई। अगले ही साल 2017 में यह आंकड़ा बढ़कर 238 हो गया। साल 2018 के पहले 50 दिनों में ही चेन स्नैचिंग की 43 वारदात हो चुकी हैं। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि सेक्टर 34 और सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन के एरिया में सबसे ज्यादा वारदात हुई हैं। साल 2017 में अकेले इन थानों के एरिया में 98 चेन स्नैचिंग हुई। याचिका में छह फरवरी 2018 की घटना का हवाला देते हुए कहा गया कि सेक्टर 44 बी में स्नैचर एक बुजुर्ग महिला के घर के बरामदे से उसकी चेन स्नैच कर भाग गए। महिला बुरी तरह घायल भी हो गई थी। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के हवाले से याचिका में कहा गया कि सीसीटीवी कैमरे बॉर्डर एरिया, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, पुलिस हेडक्वार्टर और ट्रैफिक लाइट्स पर लगाए गए हैं लेकिन एक भी स्नैचर सीसीटीवी फुटेज को देखकर नहीं पकड़ा गया। इससे पता चलता है कि ट्रैफिक लाइट्स पर लगे सीसीटीवी कैमरे सही ढंग से काम नहीं कर रहे और न ही इन्हें मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसे में शहर में सेक्टरों के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की जरूरत है। इन कैमरों को सेक्टर की वेलफेयर एसोसिएशन मॉनिटर कर सकती हैं।

Dainik Bhaskar Dt: 02/06/2018

बेल करवाने वालों का रिकॉर्ड अब कंप्यूटरीकृत किया जाएगा

स्नैचिंग केस में सुनवाई

हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और यूटी को कहा : संपत्ति के दस्तावेजों पर भी करो एंट्री

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : चंडीगढ़ में झपटमारों को बार-बार जमानत दिलवाने वाले लोगों का मामला संज्ञान में आने के बाद हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश दिए हैं कि किसी भी मामले में आरोपितों की जमानत देने लोगो का कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड तैयार किया जाए, ताकि एक ही व्यक्ति बार-बार जमानत न दे पाए। हाईकोर्ट ने जमानत देने वालों की संपत्तियों का रिकॉर्ड भी अदालत में रखे जाने के साथ संबंधित विभाग को जमानत में प्रयोग किए गए संपत्ति के दस्तावेजों पर जमानत की एंट्री किए जाने के भी आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ में सभी न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे सभी जमानती दस्तावेजों, उनके विवरण और चल/अचल संपत्तियों का कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड बनाए, ताकि दस्तावेज बार-बार प्रयोग में न लाए जा सकें।

रेखा के गैर जमानती वारंट : वहीं, बार-बार आरोपितों की जमानत देने वाली रामदरबार की रेखा रानी के खिलाफ भी गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए गए। झपटमारी के 6 मामलों में जमानत देने वाली रेखा रानी को शुक्रवार को पेश होने को कहा था। उसके 4 जुलाई के वारंट जारी किए हैं। याचिकाकर्ता वकील हरी चंद अरोड़ा ने अदालत को बताया कि रेखा रानी को हाईकोर्ट का एंट्री पास बनवाने का आश्वासन दिया था।

प्रशासन ने कोर्ट में सौंपी थी 17 लोगों की सूची

झपटमारों को ट्रायल कोर्ट से आसानी से जमानतें मिलने के आरोपों के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने पिछली सुनवाई पर सूची हाईकोर्ट में पेश की थीं। कार्यवाहक चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस तेजिंदर सिंह ढींढसा के समक्ष पेश गई इस सूची में 17 ऐसे लोगो के नाम थे, जिन्होंने 37 मामलो में आरोपितों को जमानत दिलाकर रिहा करवाया है।

Dainik Jagran Dt: 02/06/2018

मासूम को बैड टच करने वाले वृद्ध को 5 साल कैद

अमर उजाला ब्यूरो

अदालत ने एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

चंडीगढ़। महिला साइंटिस्ट की नौ वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में जिला अदालत ने सेक्टर-46 निवासी 69 वर्षीय रमन मैनी को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 1.05 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। सेक्टर-49 थाना पुलिस ने पिछले साल चार नवंबर को रमन के खिलाफ केस दर्ज किया था।

डीआरडीओ में कार्यरत महिला साइंटिस्ट ने कहा था कि चार नवंबर की सुबह उन्होंने अपनी नौ साल की बेटी को घर के पास ही स्थित ग्रॉशरी शॉप पर ब्रेड व अंडे लेने भेजा था। बच्ची काफी देर बाद लौटी तो घबराई हुई थी। उन्होंने वजह पूछी तो उसने बताया कि दुकान मालिक ने बैड टच किया। सामान देने के बहाने दुकान मालिक ने उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया। इसका उसने विरोध किया और सामान लेकर चुपचाप घर आ गई।

इसके बाद वह पति के साथ दुकान पर पहुंची और दुकानदार से पूछताछ की। वहीं से उन्होंने पुलिस बुला ली। पुलिस ने दुकान मालिक रमन मैनी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

Amar Ujala Dt: 02/06/2018

Man gets 5-year jail for molesting 9-year-old girl

HT Correspondent
chandigarh@hindustantimes.com

CHANDIGARH: A 69-year-old man was sentenced to 5-year jail for molesting a 9-year-old girl. The order was pronounced by the Chandigarh district court on Friday.

The convict is identified as Raman Maini, a shopkeeper. The court of additional district and sessions judge convicted the elderly under Section 10 of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act. The court also imposed and ₹1.05 lakh fine on the convict. Out of this, ₹1 lakh will be given to the victim as compensation.

The issue dates back to November 2017, when the victim's father said that he had sent her daughter to the shop to get bread and eggs. But when she returned, she was terrified and informed her father about the incident.

The victim's father filed the case and the police arrested Maini and booked him under Section 354, 354A of the Indian Penal Code and Section 10 of the POCSO Act.

However, the defence counsel argued that the accused was falsely implicated. But after hearing the arguments the court pronounced him guilty and sentenced him to 5 years in jail.

Hindustan Times Dt: 02/06/2018

69-year-old gets 5-yr jail for sexually assaulting minor

EXPRESS NEWS SERVICE
CHANDIGARH, JUNE 1

THE DISTRICT court of Chandigarh has sentenced a 69-year-old man to five years' imprisonment for sexually assaulting a 9-year-old girl in November 2017. The court has also imposed a fine of Rs 1.05 lakh on the convict, Raman Maini, out of which Rs 1 lakh will be given to the victim.

The convict was sentenced by the court of Additional District and Sessions Judge Poonam R Joshi under Section 10 of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act.

According to prosecution, the convict was booked on the complaint of the victim's mother who is a scientist.

The complainant had stated that she had sent her minor daughter to the shop of the accused to get some bread and eggs. When her daughter came back home, she found her to be terrified. When the complainant asked her, she disclosed that the owner of the store molested her.

Following this, the mother approached the Sector 49 police and filed a formal complaint.

Indian Express Dt; 02/06/2018